No. 50/81/85-S(1)(C).—In exercise of the powers conferred by sub-section 2 (1) of section 3 of the Punjab Restitution of Mortgaged Lands Act, 1938 (Punjab Act IV of 1938), the Governor of Haryana is pleased to invest Shri Phateh Singh, HCS, Special Collector, Kurukshetra with the powers of a Collector for the purpose of the aforesaid Act, such powers to be exercised within the limits of Kurukshtra District.

No. 50/81/85-S(1)(D).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 2 of the Punjab Occupancy Tenants (Vesting of Proprietary Rights) Act, 1952, the Governor of Haryana is pleased to empower Shri Phateh Singh, HCS, Special Collector under the said Act within the limits of the Kurukshetra District.

No. 50/81/85-S(1)(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Colonization of Government Lands Act, 1912 (Punjab Act V of 1912), Shri Phateh Singh, HCS, Special Collector, Kurukshetra is appointed as a Collector to perform all the functions and exercise all the powers under sections 17, 20 (3), 24, 25, 26, 32, 33 and 34 of the said Act with the limits of the Kurukshetra District over the lands to which the said Act applies in respect of all State owned lands in the district under the management of the Public Works Department, Haryana.

L.S.M. SALINS,
Joint Secretary.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 20 फरवरी, 1986

क्रमांक 79-ज-(2)-86/5838.—श्री राम स्वरूप, पुत्र श्री तिरखा राम, गांव नांगल सिरोही, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, की दिनांक 10 सितम्बर, 1983, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1)(ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राम स्वरूप की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1809-जे-I-76/30380, दिनांक 29 सितम्बर, 1976 तथा 1789-जे-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती सरवन देवी के नाम रबी, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 21 फरवरी, 1986

क्रमांक 55-ज-(2)-86/5978.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और इस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री मरन सिंह, पुत्र श्री केहर सिंह, गांव लूना अहीर, तहसील कोसली, जिला रोहतक, को रबी, 1975 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

सोम नाथ,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

LATE NOTIFICATIONS